



दिनांक 12.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति 520 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टीएफ0—जनपद मेरठ के आभूषण व्यापारी एवं थाना पंचवटी जिला नासिक, महाराष्ट्र में ज्वैलर्स की दुकान में लूट की घटना करने वाला राहुल वैद जनपद अम्बाला, हरियाणा से गिरफ्तार।

दिनांक: 12-10-2026 को एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश को थाना भावनपुर, मेरठ मु0अ0सं0 123/2026 धारा 310(2)/317(3)/318(4)/61(2) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त राहुल वैद को जिला अम्बाला हरियाणा से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरण:-

1— राहुल वैद पुत्र जोगेन्द्र सिंह वैद, नि0 म0नं0-86 नियर सुल्तानपुर कम्युनिटी सेण्टर सुल्तानपुर, अम्बाला सिटी, थाना बल्देव नगर, जिला अम्बाला, हरियाणा।

गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थान:-

दिनांक 12-10-2026 समय 00.05 बजे रात्रि। स्थान, थाना क्षेत्र अम्बाला कैण्ट, जिला अम्बाला, हरियाणा।

एसटीएफ उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई आगरा के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 योगेंद्र सिंह, मु0आ0 रामनरेश, मु0आ0 दिनेश गौतम, मु0आ0 बृजराज सिंह व मु0आ0 विमल कुमार की टीम जनपद अम्बाला, हरियाणा में भ्रमणशील थी, इसी दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि थाना भावनपुर, जिला मेरठ से वांछित अपराधी राहुल वैद अम्बाला, हरियाणा में रह रहा है। उक्त सूचना पर विश्वास करते हुए एस0टी0एफ0 टीम द्वारा वांछित अभियुक्त राहुल वैद को थाना क्षेत्र अम्बाला कैण्ट से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर जनपद मेरठ में एक सर्राफा व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में संलिप्त गैंग के सभी सदस्य जेल जा चुके हैं तथा यह अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर-उधर छिपकर रह रहा था। फरारी के दौरान ही माह

मई-2026 में गैंग के अन्य साथियों के साथ मिलकर जनपद नासिक, महाराष्ट्र के पंचवटी क्षेत्र में एक सर्राफा की दुकान में लूट की घटना को अन्जाम दिया था। जिस सम्बन्ध में थाना पंचवटी नासिक पर मु0अ0सं0 253/2026 धारा 310(2), 311 बीएनएस व 25/54/59 आर्म एक्ट का अभियोग पंजीकृत है। इस घटना में भी शामिल सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है तथा यह फरार चल रहा था। इसके अलावा भी उसके विरुद्ध पंजीकृत अन्य मुकदमों में वारण्ट जारी हो चुके हैं, इसलिए अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपकर रह रहा था। अभियुक्त की गिरफ्तारी की जानकारी थाना पंचवटी, नासिक, महाराष्ट्र को दी गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना भावनपुर, मेरठ में पंजीकृत मु0अ0सं0 123/2026 धारा 310(2)/317(3)/318(4)/61(2) बी0एन0एस0 में दाखिल कर अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

अभियुक्त राहुल वैद का आपराधिक इतिहास:-

- 1— मु0अ0सं0—123/2026 धारा 310(2), 317(3), 318(4) — 61(2) बीएनएस, थाना भावनपुर, जनपद मेरठ।
- 2— मु0अ0सं0 253/2026 धारा 310(2), 311 बीएनएस व 25/54/59 आर्म एक्ट, थाना पंचवटी नासिक महाराष्ट्र।
- 3— मु0अ0सं0 1/2025, धारा 2 एवं 3 गैंगस्टर एक्ट, थाना लोहिया नगर, जनपद मेरठ।
- 4— मु0अ0सं0 456/2024, धारा 304(2), 109, 351(1), 112 एवं 61(2) बीएनएस व 25 आर्म एक्ट थाना जीरकपुर, जनपद मोहाली, पंजाब।
- 5— मु0अ0सं0 470/2024, धारा 121(1), 132 एवं 109 बीएनएस, थाना पिंजौर, जनपद पंचकूला, हरियाणा।
- 6— मु0अ0सं0 1818/2023, धारा 392 एवं 411 भादंवि थाना रेलवे रोड, जनपद मेरठ।
- 7— मु0अ0सं0 137/2023, धारा 392 एवं 411 भादंवि, थाना कोतवाली, जिला मेरठ।
- 8— मु0अ0सं0 13/2021, धारा 332, 353 एवं 506 भादंवि, थाना बलदेव नगर, जनपद अम्बाला, हरियाणा।
- 9— मु0अ0सं0 234/2020, धारा 25 Arms Act, थाना डेराबस्सी, जनपद मोहाली, पंजाब।
- 10— मु0अ0सं0 209/2020 धारा 174A IPC थाना सेक्टर-14, पंचकूला, हरियाणा।
- 11— मु0अ0सं0 258/2018, धारा 307, 379 एवं 511 भादंवि थाना सेक्टर-14, पंचकूला, हरियाणा।
- 12— मु0अ0सं0 08/2011, धारा 307, 186, 34 IPC व 25 आर्म एक्ट थाना शहर अम्बाला, जनपद अम्बाला, हरियाणा।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना कोतवाली अकबरपुर

- 25—25 हजार रुपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 12.10.2026 को थाना कोतवाली अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1—अविनाश 2—प्रियांशू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अविनाश के विरुद्ध जनपद अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानों में चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 10 अभियोग एवं अभियुक्त प्रियांशू के विरुद्ध जनपद अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानों में चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त अविनाश एवं प्रियांशू थाना कोतवाली अकबरपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली अकबरपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—अविनाश निवासी ग्राम हसनपुर सुन्थरचक संसारी थाना कोतवाली टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर।
- 2—प्रियांशू निवासी ग्राम सतरही थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

जनपद ललितपुर/थाना कोतवाली ललितपुर

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
 - नगद रुपये, 01 मोबाइल फोन
 - 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस

दिनांक 12.10.2026 को थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम रोड़ा के पास, नेशनल हाईवे-44 पर अरोड़ा रेलवे ओवरब्रिज से न्यू ललितपुर टाउनशिप रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर छोटी नहर की पटरी के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने

की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त करन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से नगद रुपये, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद ललितपुर के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 27 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली ललितपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली ललितपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—करन निवासी चौकाबाग थाना कोतवाली जनपद ललितपुर।

बरामदगी

1—नगद रुपये, 01 मोबाइल फोन।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद हाथरस/थाना सादाबाद

● 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 12.10.2026 को थाना सादाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बरोस के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त गजेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना सादाबाद पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सादाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम रिठौरा थाना कागरोल कमिश्नरेट आगरा।

- जनपद एटा/थाना जसरथपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 43-43 रुपये अर्थदण्ड)

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना जसरथपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/302/34/504 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1-सनोज 2-रिंकू को आजीवन कारावास व 43-43 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद मैनपुरी/थाना कुरावली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रुपये अर्थदण्ड)

जनपद मैनपुरी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मैनपुरी द्वारा थाना कुरावली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त महावीर को आजीवन कारावास व 01 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद एटा/थाना रिजोर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 80 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना रिजोर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त निर्मल को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 80 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।



दिनांक 12.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति 521 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की प्रयागराज इकाई द्वारा की गयी ट्रेप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री राजीव कृष्ण के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 12.10.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की प्रयागराज इकाई** द्वारा विजयकान्त बिन्द निवासी ग्राम सुजाहा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से स्वीकृत लोन की शेष धनराशि बरामद कराने की रिपोर्ट लगाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक रविन्द्र सिंह के नेतृत्व में विन्ध्यवासिनी बालिका इण्टर कॉलेज रामापुर के सामने हाईवे से **1-फील्ड आफिसर हरिश्चन्द्र चौरसिया (उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक रानीगंज जनपद प्रतापगढ़)** पुत्र स्व0 शिवराय चौरसिया निवासी ग्राम रंजौली थाना मुगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर **2-आजाद सरोज (प्राइवेट व्यक्ति)** पुत्र स्व0 शंकर लाल निवासी रंजौली थाना मुगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर को **10 हजार रुपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।
